6/12/19

वकील प्रार्थी उपस्थ

बयान कुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बयान में निवेदन किया कि वाके सरहद रामीदपुरा के खसरा नं० 338 रकबा 13.18 बीघा जिसके नये खसरा नं० 716, 717, 718 कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर में पट्टेदारी करवाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी के कथन व रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण वाके सरहद रामीदपुरा के ख० नं० 338 रकबा 13.18 बीघा जिसके नये खसरा नं० 716, 717, 718 कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर की पट्टेदारी करवाये जाने बाबत् ही पट्टेदारी किये जाने बाबत् अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा 111, 128 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत निर्धारित शुल्क लेकर वाके सरहद रामीदपुरा के ख० नं० 338 रकबा 13.18 बीघा जिसके नये खसरा नं० 716, 717, 718 कुल रकबा 2.2500 हैक्टेयर की पट्टेदारी करने के आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मिसल शुमार तीन दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.12.25 15:38:15 IST
Reason: SelfAttested